प्रेषक,

विनय प्रकाश सिंह,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मेरठ।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
मेरठ।

विषयः—1108/LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad/Dated20-05-2020 एवं आपके आदेश दिनांकित 21.05.2020 के अनुपालन में आख्या प्रेषित किये जाने के संबंध में

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, के पत्रांक 1108/LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad/Dated20-05-2020 एवं आपके आदेश संख्या 113 दिनांकित 21.05.2020 के संबंध में मेरठ न्यायालय परिसर के रैड जोन/कन्टेनमैंट जोन के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ, से आख्या आहूत की गयी है, जो संलग्न कर माननीय महोदय की सेवा में प्रेषित की जा रही है।

आदर सहित।

दिनांक : 25.05.2020

भवदीय

(विनय प्रकाश सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मेरठ।

सलग्नक—उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि—श्रीमान नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर विभाग, जिला न्यायालय, मेरठ, को अनुपालन हेतु सादर प्रेषित।

Scanned with CamScanner

covid 19 st

प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट
मेरठ।

प्रेष्य,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मेरठ।

संख्या– 1136 /एसटी–नगर/कोवड–19, दिनांक– 25 मई, 2020

विषय– माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 20.5.2020 के अनुपालन में मेरठ न्यायालय के परिसर रेड जोन/कन्टेनमैन्ट जोन के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोद्य,

कृपया अपने पत्र दिनांकित 22.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3–2020–डीएम–1 (ऐ) दिनांक 17.05.2020 के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखन्क के आदेश संख्या–924/2020/सीएक्स–3, दिनांक 18.05.2020 द्वारा कोविड–19 महामारी की रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी लॉकडाउन दिनांक 18.05.2020 से दिनांक 31.05.2020 तक प्रभावी रहने हेतु आदेश दिए गए हैं।

तत्क्रम में जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ के आदेश संख्या–1465/ओ0एस0डी0–कैम्प/2020, दिनांक 21.05.2020 (प्रति संलग्न) के साथ मेरठ जनपद के कन्टेनमैन्ट क्षेत्र की सूची संलग्न कर प्रेषित की गयी है, जिसके अन्तर्गत समस्त नगर निगम एंव कैन्टोनमेन्ट बोर्ड (नगर निगम वार्ड संख्या–06, 10, 28 एंव 31 को छोडकर) को कन्टेनमेन्ट क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

कृपया तद्नुसार आख्या सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजय कुमार तिवारी)
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
मेरठ।

प्रतिलिपि–

जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ महोद्य को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
मेरठ।

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

संख्या: 1465 /ओ0एस0डी0–कैम्प/2020 दिनांक: 21 –05–2020

आदेश

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40–3–2020–डीएम–1 (ए) दिनांक 17–5–2020 के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या 924/2020/सीएक्स–3 दिनांक 18–5–2020 द्वारा कोविड–19 महामारी की रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी लॉकडाउन दिनांक 18–5–2020 से दिनांक 31–5–2020 तक प्रभावी रहने हेतु आदेश दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के स्तर पर विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों, व्यापार संघ के पदाधिकारियों आदि से विचार विमर्श कर लिए गए निर्णय के अनुसार, दिनांक 31–5–2020 तक निम्नलिखित दिशा निर्देश पारित किए जाते हैं–

1– जनपद मेरठ के कन्टेनमेन्ट जोन को छोडकर समस्त क्षेत्रों में रेस्टोरेन्ट/मिठाई की दुकान से होम डिलीवरी अनुमन्य होगी।

2– सायं 7.00 बजे से सुबह 7.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति,वाहन आदि का आवागमन (आवश्यक गतिविधियों को छोडकर) पूर्णतः निषिद्ध होगा।

3– 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति/एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिला और 10 वर्ष की आयु से नीचे बच्चों का (स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को छोडकर) बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

4– नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों सहित ग्रामीण क्षेत्र में कन्टेनमेन्ट जोन से बाहर औद्योगिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति Incident Commander द्वारा नियमानुसार शर्तो के अधीन निर्गत की जायेगी, जिसमें श्रमिकों को नान–कन्टेनमेन्ट क्षेत्र से ही फैक्ट्री के अन्दर कार्य करने की अनुमति होगी। सोशल डिस्टेन्स सम्बन्धी एस0ओ0पी0 के समस्त नियमों का पालन किया जायेगा, जिसका समय–समय पर निरीक्षण किया जायेगा। शर्तो का पालन न करने पर वैधानिक एवं सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। फैक्ट्रीयां अपने–अपने क्षेत्रफल के आधार पर ही श्रमिकों को कार्य पर बुलायेंगी।

5– नगर निगम, मेरठ के कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर औद्योगिक गतिविधियां (पैकेजिंग निर्माता इकाईयों सहित) मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा नियमानुसार शर्तो के अधीन **चरणबद्ध तरीके से** निर्गत की जायेगी, जिसमें श्रमिकों को नान–कन्टेनमेन्ट क्षेत्र से ही फैक्ट्री के अन्दर कार्य करने की अनुमति होगी। सोशल डिस्टेन्स सम्बन्धी एस0ओ0पी0 के समस्त नियमों का पालन किया जायेगा, जिसका समय–समय पर निरीक्षण किया जायेगा। शर्तो का पालन न करने पर वैधानिक एवं सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। फैक्ट्रीयां अपने–अपने क्षेत्रफल के आधार पर ही श्रमिकों को कार्य पर बुलायेंगी।

6– बारातघर खोले जायेंगे, लेकिन शादी से पूर्व सम्बन्धित कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होगी तथा इसमें 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी।

7– अस्थाई सब्जी मण्डी की व्यवस्था पूर्व की भाँति जागृति विहार सैक्टर–3 में यथावत रहेगी।

8– कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर प्रिंटिंग प्रेस एवं ड्राईक्लीनर की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।

9– सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति बिना फेस मास्क/कवर के बाहर नहीं निकलेंगे।

10– समस्त सामाजिक/राजनैतिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/अन्य सामुहिक गतिविधियां पूर्णतः निषिद्ध रहेंगी।

11– समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल/धार्मिक जुलुस आदि पूर्णतः निषिद्ध रहेंगे।

12– कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर कृषि उपकरण एवं कृषि आवश्यकताओं से सम्बन्धित वस्तुओं के क्रय/विक्रय करने की अनुमति होगी एवं अपर मुख्य सचिव, गृह (गोपन) अनुभाग–3 के पत्र संख्या 323/2020–सीएक्स–3 दिनांक 28–4–2020 के क्रम में कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर ईंट–भट्टा संचालन में परिवहन/ईंट बिक्री परिवहन की अनुमति दी गयी है। अतः इस क्रम में ईंट भट्टा संचालकों को उनके कार्य–स्थल तक जाने की अनुमति रहेगी।

13– तहसील मुख्यालय स्तर पर, नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में निर्णय लेने हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारी अधिकृत होंगे एवं इन्हें Incident Commander नामित किया जाता है।

14– मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या 924/2020/सीएक्स–3 दिनांक 18–5–2020 द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। कन्टेनमेन्ट जोन की सूची संलग्न है।

15– यदि किसी के द्वारा भी लाक डाउन के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का उलंघन किया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की धारा–51 से 60 एवं आई0पी0सी0 की धारा–188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

21/5   21/5/2020

(अजय साहनी)   (अनिल ढींगरा)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।   जिला मजिस्ट्रेट,मेरठ।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि–

1– प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ/नोडल अधिकारी, जनपद मेरठ।
2– आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
3– अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ।
4– पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ।
5– मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
6– नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।
7– समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, जनपद मेरठ।
8– पुलिस अधीक्षक–नगर/ग्रामीण क्षेत्र, मेरठ।
9– नगर मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
10– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ।
11– उपायुक्त, उद्योग, मेरठ।
12– उप निदेशक, कृषि/जिला कृषि अधिकारी, मेरठ।
13– समस्त कार्यालयाध्यक्ष, जनपद मेरठ को अनुपालनार्थ प्रेषित।
14– प्रभारी कन्ट्रोल रूम, कलेक्ट्रेट, एन0आई0सी0, मेरठ।
15– जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।

21/5   21/5/2020

(अजय साहनी)   (अनिल ढींगरा)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।   जिला मजिस्ट्रेट,मेरठ।

कन्टेनमेन्ट क्षेत्र की सूची (जनपद मेरठ)

क0सं0	कन्टेनमेन्ट क्षेत्र
1	समस्त नगर निगम एवं कैन्टोमेन्ट बोर्ड (नगर निगम वार्ड संख्या 06,10,26,31 को छोडकर)
2	कस्बा सिवाल खास, तहसील सदर मेरठ(थाना जानी)
3	ग्राम नारंगपुर, ब्लाक रोहटा(थाना रोहटा)
4	ग्राम पूठा, (थाना टी0पी0नगर)
5	ग्राम रोहटा, पुराना डाकखाना बडी मस्जिद के पास, बडौत रोड मेरठ(थाना रोहटा)
6	मौहल्ला कस्सावान, सरधना, मेरठ(थाना सरधना)
7	ग्राम जलालपुर, हस्तिनापुर, मेरठ(थाना हस्तिनापुर)
8	नगर पंचायत बहसूमा, जनपद मेरठ (थाना बहसूमा)
9	ग्राम पनवाडी, विकास खण्ड दौराला, मेरठ(थाना दौराला)
10	ग्राम अतराडा, खरखौदा(खरखौदा)